अध्याय - 13
भावी परिदृश्य : संघीय वित्त के एक नए ढांचे की दिशा में

13.1 तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय इस उभरती हुई आवश्यकता को परिलक्षित करते हैं कि भारत को राष्ट्रीय विकास एजेंडे में मूलभूत परिवर्तन लाने वाले राष्ट्रीय और वैश्विक अनिवार्यताओं की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होने के स्थान पर इन्हें आमूलचूल रूप से अपनाना चाहिए। संघीय वित्त के संदर्भ में यह स्वंय अपनी विशिष्ट चुनौतियां पेश करता है जिन पर आयोग ने उसके पास मौजूद साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी सिफारिशों में ध्यान देने का प्रयास किया है। तथापि यह बात समझी जानी चाहिए कि परिवर्तन की प्रक्रिया आयोग की सिफारिशों की समयावधि, अथवा इन सिफारिशों के दायरे तक सीमित नही है। इस अध्याय में हमने उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें भारत के लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने और भारत को अपनी जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का फायदा उठाने में समर्थ बनाने हेतु पूरी तरह तैयार राजकोषीय ढांचा खड़ा करने के लिए मध्यमावधि और दीर्घावधि में पूरक कार्रवाइयां करने की आवश्यकता है।

13.2 इस आयोग के विचार विमर्श ऐसे राजकोषीय वातावरण में संचालित किए गए हैं, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कार्यान्वित करने के प्रस्ताव का बोलबाला रहा है। जब इसे हमारे द्वारा प्रस्तावित ढंग से लागू किया जाएगा तो इस सुधार से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली विश्व की सर्वोत्तम प्रणालियों में शुमार हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अध्याय 5 में जीएसटी की पुनरीक्षा में, जीएसटी माडल से भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाले महत्वपूर्ण फायदों पर प्रकाश डाला गया है। यह केन्द्र और राज्यों के बीच वृहत असन्तुलन को कम करेगा। इससे पूरे देश में एक साझा बाजार तैयार होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अंतर्गत पूरी तरह ध्येय सिद्धान्त अपनाने से विकृतियां कम होगी। यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा और निर्योतों को प्रोत्साहित करेगा। इससे निवेश संबधी निर्णय पूरी तरह आर्थिक हितों के आधार पर लेने और पिछड़े राज्यों को सहायता करने में मदद मिलेगी। यह सरकारी राजकोषीय संघवाद की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास होगा जिसमें सभी भागीदार इसके ढांचे को स्वीकार करके राष्ट्रीय कल्याण में योगदान करेंगे। इस प्रकार का आदर्श वस्तु एवं सेवा कर संघीय वित्त के नए ढांचे का महत्वपूर्ण स्तम्भ होगा।

13.3 विकास में आमूलचूल परिवर्तन लाने में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के उभार को इस आयोग द्वारा मान्यता दी गई है और हमारे द्वारा अनशंसित उपायों में इनकी पुष्टि की गई है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय निकायों को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और हमारा यह विचार है कि भविष्य में अन्तर्सरकारी आबंटनों तथा संसाधनों के तृतीय स्तर को हस्तान्तरण के लिए संवैधानिक प्रबन्धों पर मूलभूत रूप से पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य हेतु, हम उन संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने का आग्रह करेंगें जिनसे तृतीय स्तर विभाज्य पूल से सीधे तौर पर संसाधन प्राप्त कर सके। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में भी भविष्य में स्थानीय निकायों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि उपभोग आधारित और प्रोत्साहन संगत कर होने के कारण, यह तृतीय स्तर को सीधे आवंटन के लिए पूर्ण उपयुक्त है। स्थानीय निकायों के साथ जीएसटी की इस प्रकार हिस्सेदारी से चुंगी जैसे विकृत करों को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

13.4 उपरोक्त सुझाव, एवज में, अन्तर्सरकारी राजकोषीय ढांचे के विभिन्न हिस्सों को विभिन्न राजस्व आधारों के आवंटन के आधार पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को इंगित करता है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण 'राजकोषीय सर्वमान्यों' से उत्पन्न होने वाले राजस्व का आवंटन है। ये राष्ट्रीय संसाधन हैं और इन्हें केन्द्रीय और सभी राज्य सरकारों के सामुहिक निपटान पर होना चाहिए। इनके महत्वपूर्ण उदाहरण प्रोफिट पेट्रोलियम, प्रोफिट गैस और स्पेक्ट्रम से राजस्व शेयर हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधन भी इस श्रेणी में आ सकते हैं। अब तक, इन कर-भिन्न राजस्वों को अनन्य रूप से केन्द्र के क्षेत्राधिकार में समझा जाता था। हम इस विचार को मानने पर सहमत हुए हैं कि ये केन्द्र और राज्यों के बीच सामुहिक रूप से विभाज्य हैं। ऐसा करने के लिए, इन्हें विभाज्य पूल के भाग के रूप में शामिल करना आवश्यक होगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग शामिल है, अतः इसके लिए आगे सावधानी पूर्वक विचार की आवश्यकता है।

13.5 भावी नीतिगत पहलों को लेने के लिए भविष्य में आगे सुधार आवश्यक होंगें, जिनमें उत्तरोत्तर वित्त आयोगों द्वारा किए गए उपाय शामिल हैं, ताकि इन्हें समकालीन नीतिगत उपायों के सामंजस्य में लाया जा सके। भावी वित्त आयोगों के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण उदाहरण पंचाट अवधि की समय सीमा के भीतर, न कि केवल जिस अवधि के लिए निर्णयों की सिफारिशें की जाती है (जैसा कि वर्तमान आयोग तक है) अवार्ड पैरामीटरों का अद्यतनीकरण होगा (जैसा कि क्षैतिजीय अन्तरण और अनुदान फार्मूला तय करने के पैरामीटर)। तथापि, ऐसा करने के लिए, वांछित आंकड़ों की समय पर, सटीक और नियमित उपलब्धता में प्रमुख संरचनात्मक सुधार करने पड़ेंगे। यह इस आयोग द्वारा सीधे शामिल किए गए सुधारों के अतिरिक्त राजकोषीय नीति संरचना और कार्यान्वयन के पहलुओं पर भी लागू होता है। इस कारण से ही हमने आंकड़ों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त विचार और ध्यान दिया है और अपनी अनुदानों में उसके लिए विशेष उपबन्ध किए हैं। विशेष महत्व के क्षेत्रों में वन आच्छादन, राज्यों के भीतर विसंगतियों की बेहतर समझ और विशिष्टीकरण हेतु सामाजिक और आर्थिक संकेतकों पर जिला स्तर के आंकड़े तथा घरेलू और सीमा आर-पार प्रेषणों और अन्तर्राज्यीय व्यापार शामिल हैं। हमें मानव विकास और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर भी बेहतर आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

13.6 यह सर्वव्यापक मान्यता है कि प्रशासन में सुधार भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में आमूल परिवर्तन लाने का केन्द्र बिन्दू है। यह सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए लागू है और यह महत्वपूर्ण है कि वित्त आयोग उनके पास उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए शासन में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभाएं। वर्तमान समय में, क्षैतिजीय अंतरण के लिए और विशिष्ट प्रयोजन अनुदानों के वितरण का निर्णय करने के लिए मानदण्डों हेतु स्थिर

पैरामीटरों जैसे कि जनसंख्या और क्षेत्र तथा ऐसे पैरामीटरों जो राजकोषीय क्षमता, राजकोषीय आवश्यकता और राजस्व प्रयास के प्रतिनिधि हैं, का प्रयोग किया जाता है। शासन के आयाम को लागू करने हेतु, गतिशील पैरामीटरों जैसे कि एमडीजी प्रगति के संकेतकों से संबधित पैरामीटरों पर विचार करना आवश्यक होगा। इन पैरामीटरों के प्रयोग से राज्य शासन में सुधार लाने के उपायों के बारे में सोचने और परिणाम आधारित सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने हेतु प्रोत्साहित होंगें। तथापि, विश्वस्त, सार्वजनिक रूप से समझे जाने वाले और नियमित रूप से तैयार किए जाने वाले आंकड़ों के अभाव ने वर्तमान वित्त आयोग के लिए इन संकेतकों पर विचार कर पाना संभव नहीं हुआ है। हम यह आग्रह करेंगें कि इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाएं।

13.7 बारहवें वित्त आयोग ने सांख्यिकीय एजेन्सियों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सम्बन्ध में अधिक समयबद्ध आंकड़े तैयार करने हेतु एक योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अध्याय 9 में, पैरा 9.85 और 9.86 में हम जीएसडीपी के अद्यतन उपलब्ध अनुमानों का प्रयोग करने को बाध्य हुए हैं, जो जितना हम चाहते थे, उससे कम हाल के वर्षों के लिए है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आंकड़ों की उपलब्धता में समय अंतरालों को समाप्त करने और तुलनीय जीएसडीपी आंकड़े तैयार करने की कठिन प्रक्रिया को बन्द करने के उद्देश्य से अति तात्कालिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे विचार में, संबधित सभी एजेन्सियों, चाहे वे केन्द्रीय, राज्य या जिला स्तर पर हों, की तरफ से अधिदेश या प्राथमिकता के सुस्पष्ट प्रश्नों की अनदेखी करने और नियमित और समयबद्ध आधार पर तुलनीय जीएसडीपी आंकड़ों के वितरण के लिए एक ब्लुप्रिंट और पद्धति पर सामुहिक रूप से तैयार होने में नहीं हिचकना चाहिए। यह भी समानरूप से महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन बाजार मूल्यों पर जीएसडीपी तैयार करने और निवल अन्तर्वाही प्रेषणों सहित राज्यों को प्राप्त होने वाली आय के अनुमानों को तैयार करने हेतु वृहत्तर जिम्मेदारी ग्रहण करे। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि आंकड़े प्रभावी नीति निर्माण, मानीटरिंग और अन्तरण के लिए अनिवार्य व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह कि गुणवत्तापूर्ण आंकड़े ऐसे कारक हैं जो इस बात को निर्धारित करेगें कि क्या भावी नीति निर्माण तेजी से बदल रहे सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने में समर्थ है।

13.8 पर्यावरणीय मुद्दे इष्टतम अन्तर्सरकारी राजकोषीय प्रबन्धों के निर्माण में अधिकाधिक रूप से महत्वपूर्ण बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में, हमने इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है कि कैसे राज्यों द्वारा पर्यावरणीय सार्वजनिक वस्तुओं के अनुरक्षण और आपूर्ति और सकारात्मक पर्यावरणीय बाह्य कारकों को बढ़ावा देने के लिए की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप पूरे राष्ट्र को ही लाभ मिला है। अतः हमने अन्तर्सरकारी राजकोषीय प्रबन्धों में पर्यावरणीय आयाम शुरू करके एक शुरूआत की है। हमारी यह परिकल्पना है कि जैसे-जैसे पर्यावरणीय सुस्थिरता विकास नीति निर्माण का केन्द्रीय बिन्दु बनेगा, भविष्य में इस आयाम का महत्व बढ़ता जाएगा और इस सुस्थिरता को प्राप्त करने में प्रोत्साहनों की भूमिका समय के साथ बढ़ती जाएगी। अतः लोक वित्त के भीतर पर्यावरणीय नीति के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण समय की मांग है, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता के विभिन्न आयामों, विशेषकर, उन आयामों जो गरीबों और कमजोर तबकों को उनके दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, जल, स्वच्छता, प्रदूषण और जैव विविधता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यावरण भावी पीढ़ियों के साथ एक साझी विरासत है और उनके फायदे के लिए इस विरासत को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने को अन्तर्सरकारी राजकोषीय प्रबन्धों में सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

13.9 बारहवें वित्त आयोग ने उपचय आधारित लेखाकंन प्रणालियों को लागू करने की सिफारिश की। इस बात को समझते हुए कि इस बदलाव के लिए बहुत अधिक तैयारी और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, यह भी सिफारिश की जाती है कि इस बदलाव की पूर्व कार्रवाई के रूप में आठ वित्तीय विवरणियों को शुरू किया जाए। वित्त लेखों के साथ जोड़ी जानी वाली इन विवरणियों में उन वित्तीय देनदारियों और व्यय के ब्यौरे दिए जाने थे जो इस समय लेखों में उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार ने उपचय आधारित लेखाकंन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश स्वीकार की और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय में सरकारी लेखाकंन मानक सलाहकार बोर्ड से एक प्रचालनात्मक ढांचे और इसके कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना की सिफारिश करने के लिए कहा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में उपचय लेखाकंन के मुद्दे का मूल्याकंन किया और यह सिफारिश की कि प्रणाली को आने वाली लागतों और लाभों तथा विनियोग लेखों और वित्तीय लेखों के मामले में इसकी प्रयोज्यता की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए। रिपोर्ट प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; योजना, बजट और लेखों की एकरूपता सुनिश्चित करने तथा लेखों की व्यावहारिक वित्तीय प्रणालियों को कायम करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल देती है। वित्त मंत्रालय ने आयोग को दिए अपने प्रस्तुतिकरण में आग्रह किया कि यह देखते हुए कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक संसाधन और समय लगेगा और यह कि इसके लाभ अन्तरराष्ट्रीय अनुभव द्वारा सुस्पष्टरूप से प्रमाणित नहीं हैं, उपचय लेखांकन में बदलाव की प्रकिया को सावधानी और चौकसी पूर्वक अपनाया जाना चाहिए। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस मुद्दे पर संगत प्राधिकारी पूरा ध्यान दे रहे है; और केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारें इस बदलाव के प्रति शीघ्र कार्रवाई के दृष्टिकोण को अपना रही हैं।

13.10 हमने अपनी रिपोर्ट में संस्थागत सुदृढ़ीकरण में तेजी लाने हेतु जैसे कि वित्तमंत्रियों की एक परिषद, राजकोषीय परिषद, एक स्थानीय निकाय लोकपाल का गठन आदि जैसे अनेक उपायों की घोषणा की है। इसे पृथक संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए; बल्कि ये उन समग्र प्रयासों का एक भाग हैं, जिनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहे भारत की मांगों के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है।

13.11 हमारी रिपोर्ट में राजस्व और पूंजी व्ययों के वर्गीकरण के बारे में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। रिपोर्ट के पैरा 9.25 में, हमने यह बात उठाई है कि मौजूदा प्रशासनिक प्रबंधों के अंतर्गत किसी अनुदान को आस्तियों के निर्माण के लिए 'पूंजी अनुदान' के रूप में परिभाषित करने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। हम मध्यमावधि में इस मुद्दे पर कुछ चिन्तन का आग्रह करेंगें। यह इसलिए भी आवश्यक होगा यदि विनिवेश प्राप्तियों को राज्य और स्थानीय निकाय स्तरों पर पूंजीगत निवेशों के लिए नियोजित किया जाए। वैश्विक रूप में, पूंजीगत व्ययों

के रूप में वर्गीकृत अनुदानों के वर्गीकरण की समस्या के समाधान के अनेक उदाहरण हैं। कुछ मामलों में, पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के अनुदानों को संवितरण और प्राप्तकर्ता दोनों निकायों द्वारा 'पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ अन्य मामलों में सरकार की एक इकाई द्वारा, दूसरी इकाई द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए प्रदत्त अनुदानों को, अनुदान के प्राप्तकर्ता द्वारा 'पूंजी प्राप्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, परन्तु अनुदान प्रदान करने वाले यूनिट के लेखों में 'राजस्व व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

13.12 अनेक राज्यों की राजकोषीय स्थिति में बदलाव आया है। आज, राज्य सामुहिक रूप से विवेकयुक्त और विकासोन्मुख राजकोषीय नीतियां बनाए रखने में सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य को अलग-अलग लेने पर, इस अत्यधिक रूप से सकारात्मक सामुहिक अनुभव से सर्वोत्तम पद्धति की दृष्टि से बहुत कुछ सीखने को है। वे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां इन सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण किया जा सकता है और कार्यान्वित किया जा सकता है, में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखों की समयबद्ध और सटीक रिपोर्टिंग, लोक-लेखा समितियों जैसी विधायी पर्यवेक्षण समितियों के साथ संव्यवहार, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून का अनुपालन, मध्यमावधि राजकोषीय फ्रेमवर्कों की प्रभावी संरचना और स्थानीय निकायों की राजकोषीय और प्रचालनात्मक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल हैं। लोकव्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना, जो सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, में नियमित आधार पर प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं के स्वतंत्र मूल्याकंन की आवश्यकता होगी।

13.13 आधुनिकीकरण के संदर्भ में, राजकोषीय नीति संरचना और निर्माण के लिए संस्थागत प्रबन्धों में आमूलचूल परिवर्तन एक प्रमुख चुनौती है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है। केन्द्रीय स्तर पर, वित्त मंत्रालय को अपने मूल कार्य पर अधिक गहराई से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। यह कार्य समग्र विकास नीति निर्माण की जरूरतों के अनुरूप एक उपयुक्त राजकोषीय नीति तैयार करने ओर कार्यान्वित करने से सम्बन्धित है। इसके लिए विनियामक और प्रशासनिक कार्यों को मंत्रालय से भिन्न विशिष्ट एजेन्सियों में बदलने के उपायों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, आयोग एक राष्ट्रीय ऋण प्रबंधन एजेन्सी का गठन करने के कदम का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी अर्थव्यवस्था में, वित्त मंत्रालय को, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन प्रक्रिया के पीछे मुख्य शक्ति के रूप में भावी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए अधिकाधिक अत्याधुनिक कार्य योजना अंशाकिंत करनी और कार्यान्वित करनी है। इसके लिए उन्नत नीति निर्माण और विश्लेषण क्षमताओं तथा कार्य के प्रति विगत से अधिक निकटस्थ और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। चूंकि भारत अब दस खराब से अधिक की अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये विनियमन और उन्नत प्रशासन के प्रभावी कार्यान्वयन की अपेक्षाएं हैं।

13.14 प्रस्तावित राजकोषीय परिषद और वित्तमंत्री परिषद को ऐसे पुनर्गठित मंत्रालय की आवश्यकता होगी जो अपना कार्य इष्टतम ढंग से, प्रभावी ढंग से करे। इसके अतिरिक्त, विनिवेश और सरकारी निजी भागीदारियों के मुद्दे के मुद्दे पर नीति निर्धारण हेतु अधिक विश्लेषणात्मक गहराई की आवश्यकता होगी ताकि उच्च सम्भावित नीतिगत अवसरों का अधिकाधिक फायदा हो सके और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक जवाबदेही बनाई जा सके और बढ़ाई जा सके। मध्यमावधि राजकोषीय और बजट निर्माण की चुनौतियों में बजट और कर नीति निर्माण की व्यावसायिक प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।

13.15 अन्ततः, वित्त आयोगों के संदर्भ में, हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि वित्त मंत्रालय में एक नया राज्य वित्त प्रभाग गठित किया जाए जिसके पास अन्तर्सरकारी राजकोषीय प्रबन्धों और वित्तीय सम्बन्धों से सम्बन्धित मामलों पर नीतिगत सलाह देने के लिए विश्लेषणात्मक क्षमताएं होंगी। यह प्रभाव अन्तर्सरकारी राजकोषीय मामलों पर एक राष्ट्रीय चिन्तनमंच के रूप में कार्य करेगा। यह सेवा इस समय केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही है। यह राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधारों और वित्त आयोग की भावी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की पूरी तरह मानीटरिंग करने में भी सक्रिय होगा।

13.16 हम भारत में अन्तर्सरकारी राजकोषीय संघवाद के मुद्दों पर एक निरन्तर अनुसंधान कार्यक्रम की स्थापना करने की भी सिफारिश करेंगें जो वित्त मंत्रालय को निविष्टियां प्रदान कर सकता है और भावी वित्त आयोगों के कार्य के लिए एक अनुसंधान स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। इस अनुसंधान कार्यक्रम का प्रबंधन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए।

13.17 इस प्रकार इक्कीसवीं शताब्दी में नीति निर्माण का प्रभार लेने वाले वित्त मंत्रालय को वर्तमान मंत्रालय के स्वरूप में भिन्न स्वरुप में लाने की आवश्यकता होगी। हम सभी पक्षों से इस महत्वपूर्ण संस्थागत सुदृढ़ीकरण को तत्काल आरंभ करने का आग्रह करेंगे।

13.18 अध्याय 3 में, हमने जनसंख्या के विभिन्न तबकों और देश के विभिन्न क्षेत्रों पर विकास प्रक्रिया के विभेदक प्रभाव द्वारा राजकोषीय संघवाद को प्रस्तुत चुनौतियों का वर्णन किया है। यह बहुत बड़ी सम्भावित चिन्ता का विषय है कि विकास में विसंगतियों में वृद्धि से अवसरों और सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच में अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होने चाहिए। यह ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसे वित्त आयोग के पास उपलब्ध अर्न्तसरकारी लोक वित्त के सीमित साधनों का प्रयोग करके निपटाया जा सके। यह एक अधिक व्यापक नीतिगत मुद्दा है, जिस पर हम यह महसूस करते हैं कि देश के समग्र विकास संबधी नीतिगत ढांचे की संरचना के लिए उत्तरदाई संस्थाओं, विशेषकर योजना आयोग को मंथन करना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। विकास प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न वास्तविक और दृष्टव्य विसंगतियों को दुरस्त करने के लिए किए गए राजकोषीय उपायों से केवल लक्षणों का निदान और अपने सभी बहुल आयामों सहित समावेशी विकास हासिल न करने के परिणामों का मन्दन हो सकता है। अतः हम भारत जैसे विशाल; जीवंत और विविधतापूर्ण देश के लिए प्रासंगिक सभी बहुल आयामों में समाविष्ट विकास को हासिल करने के महत्व की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे।